प्रेस प्रकाशनी **PRESS RELEASE**

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

30 सितंबर 2025

रिज़र्व बैंक ने 'त्वरित भुगतान– निष्क्रीय खाते और अदावी जमाराशि के लिए योजना की शुरुआत की'

रिज़र्व बैंक अपने जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जन साधारण को अपने निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने और बैंकों से अपनी अदावी जमाराशि का दावा करने के लिए प्रोत्साहित करता आ रहा है। इस प्रयास में, बैंकों को निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय करने और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) कोष में जमा अदावी राशि को वापस करने के लिए ग्राहकों/जमाकर्ताओं से सक्रिय रूप से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'त्वरित भुगतान– निष्क्रीय खाते और अदावी जमाराशि के लिए योजना' की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य जमा मौजूदा अदावी जमाराशि की मात्रा और डीईए कोष में नई अभिवृद्धि को कम करना है। यह योजना एक वर्ष के लिए चलेगी, अर्थात 1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक।

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1214